

घर से दूर एक घर : क्वारंटाईन सेन्टर

समर्थन के द्वारा मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में 97 ग्राम पंचायत में क्वारंटाईन सेन्टर के प्रबंधन एवं संचालन में सहयोग किया जा रहा है। आश्रम शाला, स्कूल, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवनों को क्वारंटाईन केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। जिसके प्रमुख आयाम इस प्रकार हैं :-

प्रबंधन एवं निगरानी

- ♠ **वापसी मजदूरों की सामुदायिक निगरानी** : ग्राम पंचायत के नेतृत्व में सम्पूर्ण गांव संगठित है। किसी भी रास्ते से गांव में मजदूर की वापसी हो। उनको चिन्हाकित करके उनको क्वारंटाईन में रहने हेतु तैयार किया जाता है।
- ♠ **प्रबंधन एवं निगरानी** : ग्राम पंचायत के सहयोग के लिये निगरानी समिति कार्यरत है। इस समिति के द्वारा क्वारंटाईन सेन्टर की व्यवस्था, वापसी मजदूरों का पंजीयन एवं मजदूरों को परामर्श दिया जाता है।
- ♠ **सामुदायिक भागीदारी** : क्वारंटाईन के प्रबंधन में समुदाय से अनाज, सामग्री या पैसों के रूप में सहयोग प्राप्त होता है।
- ♠ **परिवारिक सहयोग** : जिन परिवारों के सदस्य वापसी हो रहे हैं उनके परिवार द्वारा ही अपने सदस्यों को क्वारंटाईन हेतु प्रेरित किया जाता है।
- ♠ **एक नियम** : सम्पूर्ण गांव के लिये एक नियम लागू है। किसी भी स्तर का परिवार हो, उनके सदस्यों को क्वारंटाईन रहना ही होगा।
- ♠ **मजदूरों के आगामी प्लान** : क्वारंटाईन के दौरान मजदूरों के जॉब कार्ड, आधार कार्ड, उज्ज्वला, बैंक खाते, आदि के लिये फार्म भरे जा रहे हैं।



सेन्टर में सुविधायें

- ♠ **निवास** : महिला पुरुषों के लिये अलग अलग कमरे। अलग अलग स्थान के अनुसार अलग अलग कमरे, गंभीर व संदिध्य व्यक्तियों के लिये अलग व्यवस्था। शिशु व माताओं के लिये अलग व्यवस्था।
- ♠ **स्वच्छता सुविधा** : महिला पुरुष के लिये अलग अलग शौचालय, हैण्डवासिंग की सुविधा, जिसके उपयोग के नियम तय किये गये हैं। बहुत गंभीर या संदिध्य व्यक्ति के लिये अलग से व्यवस्था।
- ♠ **भोजन व अन्य सुविधा** : भोजन, पंखा, पानी, गद्दे, दर्री, साबुन, ब्रश, सेनेटरी पेड, कपड़े, तौलियों की व्यक्ति वार व्यवस्था।
- ♠ **स्वास्थ्य जॉच व दवाई** : स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य जॉच, कोरोना के अतिरिक्त अन्य बिमारियों की दवाई की व्यवस्था।



नियम

- ♠ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी सुनिश्चित करे।
- ♠ एक दूसरे के बिस्तर पर नहीं बैठना या नहीं सोना।
- ♠ अलग अलग तौलियाँ, कपड़े, बर्तन का उपयोग करना।
- ♠ एक दूसरे की सामग्री का उपयोग नहीं करना।
- ♠ अपनी अपनी जगह निर्धारित करना तथा अपने ही रास्ते से अवागमन करना।
- ♠ भोजन के पूर्व साबुन से हाथ धोना।
- ♠ भोजन अपनी ही थाली में करना।
- ♠ स्वयं की थाली, बर्तन स्वयं साफ करना।
- ♠ केन्द्र के बाहर नहीं जाना तथा किसी से सम्पर्क नहीं करना।
- ♠ प्रति दिन स्नान करना तथा धूप में कपड़े सूखाना।
- ♠ शौचालय का उपयोग करना। शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना।
- ♠ दरवाजों की कुण्डी, फर्श, कपड़े, चादर की नियमित सफाई करना।



- ♠ समाजिक दूरियों का पालन करते हुये खेल, सुर्य नमस्कार, अन्य व्यायाम, भजन, किर्तन, पुराने गाणों की स्पष्टी एवं अंताक्षरी।
- ♠ परिसर, अपने कपड़े, बिस्तर व दर्री की सफाई,
- ♠ स्कूलों में किचन गार्डन, पौधा रोपण के लिये गडडा, कम्पोस्ट गडडा खनन कार्य।
- ♠ गंदे पानी के प्रबंधन के लिये सोख्ता गडडा खनन कार्य।